

क्रमांक:-ख.अ./जय/निविदा-2/2025-26/

निदेशक
निदेशालय सूचना एवं जन संपर्क विभाग
सचिवालय राजस्थान जयपुर

विषय:- जब्तशुदा खनिज नीलामी की निविदा 2/2025-26 विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत जब्तशुदा खनिज क्वार्टर की न्यूनतम अनुमानित कीमत राशि रु 2.70 लाख की नीलामी बाबत निविदा आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति की 8 (आठ) प्रतियां मय सॉफ्ट कॉपी एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशन हेतु संलग्न कर प्रेषित है। बोली दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 02.07.2025 (सायंकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। इसका यू.बी.एन. नं० है।

संलग्न उपरोक्तानुसार,

भवदीय

(श्याम कापड़ी)
खनि अभियन्ता, जयपुर

क्रमांक:-ख.अ./जय/निविदा-2/2025-26/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर जयपुर।
2. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर

Signature valid



Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2025.06.09 17:16:44 IST
Reason: Approver

क्रमांक:-ख.अ./जय/निविदा-2/2025-26/

नीलामी सूचना प्रकाशन 2/2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत जब्तशुदा खनिज क्वार्टज खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in, Portal <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/- रु का डी.डी. /बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 02.07.2025 (दोपहर 3.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
नीलामी हेतु खनिज क्वार्टज समूहों का संक्षिप्त विवरण-

क्रम सं.	स्टॉक स्थल	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.) / (प्रति टन)
1	ग्राम बैनाडा में खनन पट्टा संख्या 6/1994 व 617/1993 के मध्य गैप क्षेत्र में।	क्वार्टज	200	5400	1350

जब्तशुदा खनिज क्वार्टज की बोली दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 02.07.2025 (सायंकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगे। नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

UBN -

खनि अभियन्ता जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2025.06.09 17:16:44 IST
Reason: Approved

क्रमांक:-ख.अ./जय/निविदा-2/2025-26/

नीलामी हेतु उपलब्ध खनिजों का विवरण

अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिजों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 02.07.2025 (सायंकाल 5.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम जयपुर के कमरा नं. 504 में आमंत्रित की जाती है। **प्राप्त सीलबंद लिफाफेकमेटी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामीदाताओं के समक्ष कमरा नंबर 504 में खोली जायेगी**, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
नीलामी हेतु खनिज क्वार्टज समूहों का संक्षिप्त विवरण-

क्रम सं.	स्टॉक स्थल	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.) / (प्रति टन)
1	ग्राम बैनाडा में खनन पट्टा संख्या 6/1994 व 617/1993 के मध्य गैप क्षेत्र में।	क्वार्टज	200	5400	1350

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से राजस्व ग्राम का नाम व खसरा संख्या/ क्षेत्र का नाम एवं खनिज का नाम लिखा होना चाहिए। निविदा कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 02.07.2025 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **खनि अभियन्ता, जयपुर** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
- जब्तशुदा खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित मौके पर की जा सकती है।
- जब्तशुदा खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी। बोलीदाता जब्तशुदा/नीलामी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के संबंध में मौके पर तस्दीक स्वयं के स्तर पर नीलामी से पूर्व कर लेवें। इस संबंध में बाद नीलामी कोई उज्र मान्य नहीं होगा।**
- प्राप्त निविदा कमेटी द्वारा दिनांक 03.07.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल पंचम तल पर खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण राशि जमा कराने का पत्र दिया जावेगा। पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में निविदा में अंकित मात्रा के अनुसार उच्चतम बोली के आधार पर बनने वाली सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा कराने पर खनिज उठाने की अनुमति जारी की जावेगी

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2025.06.09 17:16:44 IST
Reason: Approved

- अनुमति जारी होने से 10 दिवस में समस्त खनिज का उठाव करना होगा अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये खनिज पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 8. निविदादाता को एग्जस पुफ, फोटो आईडी पुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति स्वःहस्ताक्षरित साथ लाना होगा।
 9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
 10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax आदि नियमानुसार अतिरिक्त जमा कराना होगा।
 11. नीलामी में प्राप्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर इस पर निर्णय करने का सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
 12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना/टी.पी./ई-रवन्ना/ई-टी.पी जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना/टी.पी./ई-रवन्ना/ई-टी.पी के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
 13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व इनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।
 14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना/टी.पी./ई-रवन्ना/ई-टी.पी वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटीकृत/अधिकृत तुला यंत्र के वजन की पर्ची कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
 15. उक्त संबंध में विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशानिर्देशों/आदेशों एवं उनमें होने वाले संशोधन की भी पालना करनी होगी
 16. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

(श्याम कापडी)

खनि अभियन्ता जयपुर

क्रमांक:-ख.अ./जय/निविदा-2/2025-26/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. जिला कलक्टर जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
7. थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता, बस्सी।
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनि अभियन्ता, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Shyam Kapari
Designation: Mining Engineer
Date: 2025.06.09 17:16:44 IST
Reason: Approved